छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा   चतुर्थ सत्र   अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 नवंबर, 2019

(अग्रहायण 4, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत/राज्यगीत

राष्ट्रगीत **"वन्दे मातरम्"** एवं राज्यगीत "**अरपा पइरी के धार**" की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने श्रीमती सुषमा स्वराज, भारत की पूर्व विदेश मंत्री, श्री बाबूलाल गौर, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, श्री अरूण जेटली, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, श्री मालूराम सिंघानिया, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ.बंशीलाल महतो, लोक सभा के पूर्व सदस्य एवं श्री कैलाश जोशी, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, सदस्य श्री अजीत जोगी, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, केशव प्रसाद चन्द्रा ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिये संवेदना प्रकट की गई ।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 12.02 बजे स्थगित की जाकर 12.13 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

3. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय तथा अन्य कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

वित्तीय कार्य	**समय**
वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक की अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर: स्थापन, विचार एवं पारण.	3.00 घंटे

अन्य कार्य

(i) मंगलवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को सभा की बैठक में प्रश्नकाल के पश्चात् **"सविधान दिवस"** के अवसर पर संविधान से संबंधित विषय पर चर्चा होगी । उसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक की अनुदान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी ।

(ii) नवम्बर-दिसंबर 2019 सत्र के प्रत्येक सत्र के प्रथम दिवस की कार्यवाही राष्ट्रगीत **"वन्देमातरम्"** के साथ-साथ राज्य-गीत **"अरपा पइरी के धार....."** से आरंभ होगी ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(पक्ष/प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये ।)

4. स्थगन प्रस्ताव

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न होने तथा किसानों को परेशान किये जाने

माननीय अध्यक्ष ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी न होने तथा किसानों को परेशान किये जाने के संबंध में 16 सदस्यों की ओर से प्राप्त सूचनाओं में से श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की सूचना तथ्यात्मक होने से पढ़ी ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

श्री रविन्द्र चौबे,संसदीय कार्य मंत्री ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य किया जाता है । मैं आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिये समय निर्धारित करता हूं ।

5. जुलाई, 2019 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव,विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया ।

6. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री सत्यनारायण शर्मा

(2) श्री धनेन्द्र साहू

(3) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

(4) श्री मनोज सिंह मण्डावी

(5) श्री शिवरतन शर्मा

8. वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये मंगलवार दिनांक 26 नवंबर, 2019 की तिथि निर्धारित की ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर तत्काल चर्चा प्रारम्भ कराये जाने की मांग की गई ।

9. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ने चर्चा प्रारंभ की ।

चर्चा के दौरान श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य द्वारा असंसदीय शब्द का प्रयोग किये जाने पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने माननीय सदस्य से खेद व्यक्त करने की मांग की ।

10. व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि :- माननीय सदस्यों को,

1. जब अध्यक्ष अपनी आसंदी छोड़कर खड़े हों तो आपको खड़े नहीं होना चाहिये । आप पहले यह गलती स्वीकार करें ।

2. जब वरिष्ठ नेता या विपक्ष के नेता भाषण कर रहे हों तो अनावश्यक टीका टिप्पणी न करें ।
3. असंसदीय शब्दों का प्रयोग न किया जाये । मैंने माननीय सदस्य के भाषण में जो आपत्तिजनक शब्द थे, उसको विलोपित कर दिया है। शालीन आचरण की उनसे अपेक्षा की है । उसके बाद वे समझते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिये तो वे मांग सकते हैं ।

माननीय सदस्य ने खेद व्यक्त किया ।

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, अजीत जोगी, सदस्यों ने माननीय सदस्य से पुन: खेद व्यक्त करने की मांग की ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने मामले का पटाक्षेप करते हुये संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सदस्य की तरफ से खेद व्यक्त किया ।

11. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री धरमलाल कौशिक (जारी)

(1.30 बजे से 3.01 बजे तक अन्तराल)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, मोहन मरकाम

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अजीत जोगी, धनेन्द्र साहू, बृजमोहन अग्रवाल, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, संतराम नेताम, डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, अजय चन्द्राकर,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया ।

12. बहिर्गमन

श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

13. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

सायं 6.26 बजे, विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार,दिनांक 26 नवंबर, 2019 (अग्रहायण-5, शक संवत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा